न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 186 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेंटगण
1. कमलसिंह पुत्र दीपसिंह उम्र 50 वर्ष 2. देरावरसिंह पुत्र दीपसिंह उम्र 53 वर्ष जाति राजपूत निवासी नागणासर तहसील शिव जिला बाड़मेर		1. छगनकंवर पत्नी सादुलसिंह 2. सादुलसिंह पुत्र भंवरसिंह 3. शैतानसिंह पुत्र भंवरसिंह 4. नारायणसिंह पुत्र भंवरसिंह 5. अणछकंवर पत्नी भंवरसिंह 6. भाखरसिंह पुत्र खुमाणसिंह 7. मेहतावसिंह पुत्र खुमाणसिंह 8. हिगोलसिंह पुत्र खुमाणसिंह 9. हिन्दूसिंह पुत्र खुमाणसिंह 10. राजकंवर पत्नी खुमाणसिंह 11. शाखा प्रबंधक बैक ऑफ बडोदा शाखा शिव 12. शाखा प्रबंधक एस बी आई बैंक शाखा शिव 13. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130 / 2021 बअनवान छगनकंवर बनाम कमलसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री सुनील के मेराजा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नवलसिंह राठौड़, श्री छैलसिंह राठौड़ रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—20.06.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 342 / 64 रकबा 4.8562 हैक्टयर भूमि ग्राम नागणासर, तहसील शिव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिला बाड़मेर में अवस्थित है। जिसमें सिंचाई का कोई साधन नहीं है। प्रार्थी के खेत में सिंचाई हेतु पाईप लाईन स्थापित करने हेतु अपीलांट के खेत खसरा संख्या 265/66 व 264/66 रकबा 32.0511 हैक्टयर, 35.8956 हैक्टयर भूमि में पाईप लाईन बिछाकर अपीलांटस की खातेदारी भूमिं में सिंचाई के लिये जल आपूर्ति की जावेगी। इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन एकपक्षीय आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को विधि व न्याय के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा जा कर अधीनस्थ कर्मचारियो ने मौका रिपोर्ट भेजी गई है, वह भी एकतरफा है, जिस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश से अपीलांटस का खेत दो भागों में विभक्त किया गया। अपीलाधीन आराजी पर निर्माण कर रखा है लेकिन उतरदता/प्रार्थी को अपने खेत में पाईप लाईन लेने की सहमति आवश्यक है तो उतरदाता अपीलांट के खेत के सेढे–सेढे से पाईप लाईन लेने हेतु आवेदन देकर पाईप लाईन हेतु अनुमति की मांग करता जो नहीं की गई। मौके पर किसी तरह से भूमि खाली नहीं है तथा ढाणियां हटाकर पाईप लाईन डालना कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते वक्त तथ्यों पर गौर किये बिना पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अतः अपीलांट द्वारा पेश अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में सिंचाई करने हेतु पाईप लाईन ले जाने के लिए प्रस्तावित विकल्प के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी की जोत में सिचाई करने एवं अन्य प्रयोजन के लिए पाईप लाईन ले जाना मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांटगण की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में मजमे आम में बाद सुनवाई पश्चात पारित किया गया। उसके उपरांत हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया लेकिन अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से पाईप लाईन निकालने के पारित आदेश के अलावा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि तक पाईप लाईन ले जाने हेतु किसी भी प्रकार के निकटतम विकल्प नहीं बताया गया। अपीलांटस ने आपति पेश की, की अपीलांटस की खातेदारी भूमि को अपीलाधीन आदेश से दो भागों में विभक्त किया गया लेकिन उक्त तथ्य आधारहीन है क्योंकि पाईप लाईन भूमिगत बिछाई जाएगी जिससे आराजी की भौतिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अंतर्गत 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आवेदन एक समरी प्रक्रिया है जिसमें तकनीकी आधार पर प्रकरण का निस्तारण कर रेस्पोडेंटस को मिले पाईप लाईन बिछाने के वैधानिक अधिकार से महरूम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित पाईप लाईन के अलावा उक्त खसरे से कोई निकटतम विकल्प नहीं है। अपीलांटस द्वारा अपनी अपील में आपति की है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका नहीं देखा गया जबकि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के लौट में ऐसे न्यायिक दृष्टांत है जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि भू अभिलेख निरीक्षक रैंक के कर्मचारी द्वारा रास्ते के मामले में मौका देखा जाना न्यायसंगत है इसलिए अपीलांट की उक्त आपति में कोई सार नहीं है। रेस्पोडेंटस/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी से पाईप लाईन प्रस्तावित कर दी गई है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण को उसको पाईप लाईन बिछाने के विधिक अधिकार से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 130/2021 वअनवान छगनकंवर बनाम कमलसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.11.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रवीण पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर